आनंद सिंह कुँवर एवं अन्य।

बनाम

भारत निर्वाचन आयोग जरिये मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली

और अन्य

7 अगस्त, 2007

(ए.के. माथुर और मार्कण्डेय काटजु, जेजे.)

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 332(3)-राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण-माना: अनुच्छेद 332(3) में कहा गया है कि राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण किया जाना चाहिए- यह चुनाव आयोग का स्थाई विचार होना चाहिये न कि कोई अन्य विचार - संविधान का आदेश सर्वोच्च है और चुनाव आयोग के पास संविधान से परे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000:

धारा 22(5) - उत्तराँचल राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 282/यूटीटी/2001- डीईएल दिनांक 5.11.2001- अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 के स्थान पर 3 कर दी गई- रिट याचिका में राज्य में अनुसूचित जनजातियों की आबादी के अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस आधार पर वृद्धि को चुनौती दी गई है, 2 सीटें होनी चाहिए, 3 नहीं- उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपील- इस बीच अपनी गलती का एहसास करते हुए चुनाव आयोग ने सीटों की संख्या घटाकर 2 कर दी- माना: अनुसूचित जनजातियों की सीटों को 2 से बढ़ाकर 3 करने पर विचार करना बिल्कुल उचित नहीं था क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 332(3) का उल्लंघन है - यह आशा की जाती है कि जब कोई अधिसूचना जारी की जाती है, तो चुनाव आयोग खुद को संविधान के प्रावधानों के दायरे तक ही सीमित रखेगा और किसी अन्य विचार से प्रभावित नहीं होगा - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 332(3)।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2004 का स्थानांतरित मामला संख्या 20।

महेंद्र आनंद, एच. एस. परिहार, कुलदीप एस. परिहार, टी. सी. संख्या 20, 2004 में याचिकाकर्ताओं/प्रार्थीगण की ओर से।

मोहन परासरन, ए. डी. एन. राव, ए. एस. जी., पी. परमेश्वरन, श्रीकांत एन. टेरडाल, डी. एस. महरा, मीनाक्षी अरोड़ा, मेहेंदीरत्ता, सूरज्योति गुप्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

एतद्द्वारा न्यायालय का आदेश दिया गया

आदेश

1. यह भारत संघ के अनुरोध पर उच्च न्यायालय से स्थानांतरित एक याचिका है और इसे 2004 के स्थानांतरित मामले संख्या 20 के रूप में दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता/प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी:-

1. उत्प्रेरण रिट या कोई अन्य उचित रिट, आदेश को रद्द करने का आदेश या निर्देश जारी करें। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधिसूचना संख्या 282/यूटीआई/2001- डीईएल दिनांक 5.11.2001 को जारी की गई, जहां तक यह उत्तरांचल राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को 2 से बढाकर 3 सीटें करने

से संबंधित है और इसके परिणामस्वरूप उत्तरांचल राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए केवल 2 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की जाती है।

2. एक परमादेश रिट या कोई अन्य उचित रिट या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिवादीगण को उत्तरांचल सरकार के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित और प्रकाशित दिनांक 5.11.2000 के विवादित आदेश को संशोधित करने का निर्देश दिया जाए और परिणामस्वरूप प्रतिवादीगण को जिला पिथौरागढ में धारचूला निर्वाचन क्षेत्र को (एसी नंबर 70) एक सामान्य सीट के रूप में घोषित करने का निर्देश दिया जाए।

3. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 22 के खंड 5(सी) को रद्द करने के लिए उत्प्रेरण रिट जारी करें, जहां तक यह ''.... और किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा'' का संबंध है, यह भारत के संविधान की मूल विशेषता का उल्लंघन है।

4. याचिका व्यय और ऐसी अतिरिक्त राहत दी जाए जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में और न्याय के हित में उचित समझें।

2. याचिकाकर्ता भारत के नागरिक हैं और धारचूला निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ जनहित में उत्तरांचल उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें अधिसूचना संख्या 282/यूटीआई/2001-डीईएल दिनांक 5.11.2001 को प्रतिवादी नंबर 1 यानी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया को रद्द करने और उत्प्रेरण रिट या कोई अन्य उचित रिट, निर्देश या आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई, जहां तक यह उतरांचल राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित सीटों को बढ़ाने से संबंधित है। चुनाव आयोग ने इस अधिसूचना के क्रम में **उत्तर प्रदेश** पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 22 की उपधारा 5 के तहत उत्तरांचल राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और उस आदेश द्वारा चुनाव आयोग द्वारा उत्तरांचल राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या 70 निर्धारित कर देने का आदेश पारित किया और चुनाव आयोग ने उत्तरांचल की विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बारह (12) और तीन (3), अर्थात तीन (3) सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गईं जो वर्तमान मामलों में विवाद का विषय है।

3. इस याचिका में याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या उत्तरांचल की कुल जनसंख्या का 3% है और उत्तरांचल राज्य के परिसीमन के अनुसार, उत्तराँचल राज्य में 70 एकल सदस्य प्रादेशिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बनाये गये। भारत के संविधान के अनुच्छेद 332 (3) के संदर्भ में सीटों की संख्या जहाँ तक संभव हो उत्तरांचल राज्य की सत्तर (70) सीटों में से 3% की सीमा तक है। यानि 2.1 पर आता है जो तीन (3) सीटों की तुलना में दो (2) सीटों के करीब है, लेकिन चुनाव आयोग ने अनुसूचित जनजातियों के लिए तीन (3) सीटें तय की हैं जो संविधान के प्रावधानों से परे है।

4. चुनाव आयोग की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया गया और उन्होनें यह आरोप लगाते हुए इसे सही ठहराने की कोशिश की है कि यह एक वास्तविक गलती थी और उन्होंने अब इसे सुधार लिया है और उन्होंने अनुसूचित जनजातियों की सीटों को (3) से घटाकर दो (2) कर दिया है, उनके जवाबी हलफनामे का पैरा 3 इस प्रकार हैः

"(iii) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत परिसीमन आयोग के परिसीमन आदेश दिनांक 28.12.2006 में, केवल 2 सीटें, अर्थात, जिला देहरादून में चकराता और जिला उधमसिंह नगर में नानक मार्ता, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। वर्तमान याचिका में विवाद की जड़, उत्तराखंड राज्य की जनजातियों और जिला पिथौरागढ़ के धारचूला को एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र की सीट घोषित किया गया है, जो अनुच्छेद 170(3) के तहत निर्दिष्ट भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ऐसी तारीख से प्रभाव होगा।

(iv) परिसीमन का आदेश दिनांक 5.11.2000 को चुनाव आयोग द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के विकास की विशेष आवश्यकताओं, विशेषकर दो पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मुख्य धारा का हिस्सा बनने के लिये स्थानीय लोगों की प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था । इसके अलावा सहयोगी सदस्यों और जनता की ओर से आदिवासियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की भी जोरदार मांग की गई।

5. हालाँकि अब यह मुद्दा पूरी तरह से शैक्षिक (अकादमिक) है क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी गलती का एहसास करते हुए

अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या तीन (3) से घटाकर दो (2) कर दी है और इस आशय की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है लेकिन इस क्रम में 5 नवंबर 2001 के आदेश को सही ठहराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ टिप्पणियाँ की हैं जिन्हें दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 332 (3) के आदेश को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 332(3) में कहा गया है कि आरक्षण राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में किया जाना चाहिए। यह चुनाव आयोग का स्थायी विचार होना चाहिए न कि केवल अन्य विचार। हमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अनुसूचित जनजातियों की सीटों को 2 से बढ़ाकर 3 करने पर विचार करना बिल्कुल उचित नहीं था, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुछेद 332(3) का उल्लंघन है। संविधान का आदेश सर्वोच्च है और चुनाव आयोग के पास संविधान से परे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए, हम आशा और विश्वास करते हैं कि जब कोई अधिसूचना जारी की जाती है, तो चुनाव आयोग खुद को भारत के संविधान के प्रावधानों के आदेश तक ही सीमित रखेगा और किसी अन्य विचार से प्रभावित नहीं होगा।

6. अब जबकि 2007 के चुनाव हो चुके हैं, हम इस आधार पर चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों को केवल दो माना जाना चाहिए।

7. हस्तांतरित प्रकरण क्रमांक 20 का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

स्थानांतरित प्रकरण का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विक्रांत गुप्ता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।